

कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, बस्ती

संख्या: /आबकारी सहायक/ई-लाटरी/2017-18/बस्ती दिनांक मार्च 2018

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ० प्र० के पत्र संख्या 46107-181/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19 दिनांक इलाहाबाद मार्च 17, 2018 के क्रम में आबकारी दुकानों के प्रथम चरण के व्यवस्थापन के उपरान्त अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन द्वितीय चरण में किया जाना है। कार्यक्रम व दुकानों का विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	कार्यक्रम	निर्धारित तिथि
1	अवशेष देशी/ विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप दुकानों हेतु आनलाइन आवेदन करने की अवधि	दिनांक 21.03.2018 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 23.10.2018 को अपरान्ह 19:00 बजे तक
2	आवेदनो का परीक्षण	दिनांक 24.03.2018 से 25.03.2018 तक
3	ई-लाटरी की तिथि व समय	26.03.2018 को प्रातः 9:00 बजे से

अव्यवस्थित दुकानों का विवरण निम्नवत है-

क-देशी मदिरा

क्र०स०	दुकान का नाम	प्रस्थिति	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (ब० ली० में)	बेसिक लाइसेंस फीस (रु० में)	लाइसेंस फीस(रु० में)	प्रतिभूति धनराशि(रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	सालवेंसी की धनराशि (रु० में)
1	करमी	ग्रामीण	19464	544992	4321008	432100.80	54499.20	811000
2	सगरा	ग्रामीण	11352	317856	2520144	252014.40	31785.60	473000

ख-विदेशी मदिरा

क्र०स०	दुकान का नाम	प्रस्थिति	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस(रु० में)	प्रतिभूति धनराशि(रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	सालवेंसी की धनराशि (रु० में)
1	अठदमा	ग्रामीण	435000	43500	43500	435000

ग-बीयर

क्र०स०	दुकान का नाम	प्रस्थिति	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस(रु० में)	प्रतिभूति धनराशि(रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	सालवेंसी की धनराशि (रु० में)
1	जगदीषपुर	ग्रामीण	85000	8500	8500	85000
2	करहली	ग्रामीण	230000	23000	23000	230000
3	अकारी	ग्रामीण	65000	6500	6500	65000
4	सुरवारे	ग्रामीण	240000	24000	24000	240000

घ-माडल शाप

क्र०स०	दुकान का नाम	प्रस्थिति	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस (रु० में)	प्रतिभूति धनराशि(रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	सालवेंसी की धनराशि (रु० में)
1	पटकापुर	ग्रामीण	1675000	200000	167500	1675000

नोट- माडल शाप में बैटाकर पिलाने हेतु 100000/- (एक लाख रु०) अतिरिक्त जमा करना होगा।

वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति का विस्तृत विवरण तथा फुटकर दुकानों हेतु आवेदन/रजिस्ट्रेशन ई-लाटरी आदि से सम्बंधित सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.nic.in) तथा जिले की वेबसाइट (www.basti.nic.in) पर उपलब्ध रहेगी। ई-लाटरी हेतु आनलाइन आवेदन online-elotteryPortal (<http://upexciseelottery.gov.in>) पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बस्ती व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सम्पर्क किया जा सकता है।

(अनुराग मिश्र)
जिला आबकारी अधिकारी
बस्ती

(सुषील कुमार मौर्या)
जिलाधिकारी
बस्ती

संख्या : /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) बस्ती।
3. उप सूचना निदेशक, बस्ती।
4. संयुक्त आबकारी आयुक्त, गोरखपुर जोन गोरखपुर।
5. उप आबकारी आयुक्त, बस्ती प्रभार, बस्ती।
6. समस्त उप जिलाधिकारी, बस्ती।
7. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, बस्ती को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-1,2,3 व 4 बस्ती को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
9. स्थानीय सम्पादक, दैनिक जागरण व राष्ट्रीय सहारा, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि न्यूनतम सरकारी दर पर कम से कम स्थान में विज्ञापित प्रकाशित कर बिल/बीजक भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

जिला आबकारी अधिकारी
बस्ती